



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1947 (श10)

(सं0 पटना 100) पटना, मंगलवार, 3 फरवरी 2026

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना  
29 जनवरी 2026

सं० 02/थाना-10-26/2023-1314/गृ0आ0—गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-9395, दिनांक-25.07.1976 द्वारा बेगूसराय जिला अंतर्गत भगवानपुर थाना का गठन करते हुए उसके क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है, जिसमें अन्य गाँवों के साथ-साथ ग्राम पंचायत-राज नौला उर्फ नेवला(राजस्व थाना सं०-419) को भी भगवानपुर पुलिस थाना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।

2. गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं०-1824, दिनांक-31.12.1988 द्वारा बेगूसराय जिला अंतर्गत वीरपुर थाना का सृजन करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-1574, दिनांक-15.02.2007 द्वारा उसके क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है।

3. उक्त अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए बेगूसराय जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत राज नौला उर्फ नेवला(राजस्व थाना सं०-419) को निम्नलिखित गाँव सहित भगवानपुर थाना से पृथक करते हुए वीरपुर थाना में शामिल किया जाता है :-

| पंचायत का नाम   | क्र० सं० | गाँव का नाम     |          | राजस्व ग्राम नं०    | अभियुक्ति                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | हिन्दी          | अंग्रेजी |                     |                                                                                                                                                                    |
| नौला उर्फ नेवला | 1        | नौला उर्फ नेवला | NAULA    | 419                 | भगवानपुर थाना अधिसूचना में नौला उर्फ नेवला का उल्लेख क्र०सं०-184 पर किया गया है। वर्ष 1991 के 73वें संविधान संशोधन के बाद वर्ष 2001 में पंचायत के परिसीमन के दौरान |
|                 | 2        | मखवा            | MAKHWA   | 419 एवं अंश भाग 417 |                                                                                                                                                                    |
|                 | 3        | गारा            | GARA     | 419                 |                                                                                                                                                                    |

| पंचायत का नाम | क्र० सं० | गाँव का नाम |          | राजस्व ग्राम नं० | अभियुक्ति                                                                                                                                                  |
|---------------|----------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          | हिन्दी      | अंग्रेजी |                  |                                                                                                                                                            |
|               | 4        | बदिया       | BADIYA   | 419              | नेवला उर्फ नौला पंचायत के अंतर्गत चारों गाँव को नेवला उर्फ नौला पंचायत के अंतर्गत रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त चारों गाँव का राजस्व थाना नं० एक ही है। |

4. उक्त अधिसूचनाओं के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

आदेश से,  
इन्दु भूषण सिंह,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 100-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>